न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 195/2020 – निगरानी

सत्यनारायण माली पिता श्रवण माली निवासी– ग्राम पण्डेर पंचायत समिति जहाजपुर तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा	बनाम
	1. कैलाश कंजर पिता हिम्मतिया कंजर निवासी–ग्राम पण्डेर ग्राम पंचायत पण्डेर तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा
	2. ग्राम पंचायत पण्डेर जरिये सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत पण्डेर पंचायत समिति जहाजपुर तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा
–निगराकार	– गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्व आदेश ग्राम पंचायत पण्डेर बमामले पत्रावली संख्या 108/20.05.2019 एवं पट्टा संख्या 08 दिनांकित 05/08/2019

उपस्थित –

1. श्री राजेश चौधरी अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. गैर निगराकार संख्या 01 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं

निर्णय

दिनांक 29.08.2022

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरूद्व गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम पण्डेर ग्राम पंचायत पण्डेर पंचायत समिति जहाजपुर की जवाहर नगर आबादी भूमि स्थित भूमि में गैर निगराकार संख्या 02 द्वारा गैर निगराकार संख्या 01 को एक आवासीय भूखण्ड नपती 15 गुणा 42 फिट जिसके पड़ौस पूर्व में पड़त आबादी भूमि, पश्चिम में रोपां–कोटड़ी रोड़, उत्तर में रीछपाल कंजर का मकान, दक्षिण में पड़त आबादी भूमि का संकल्प संख्या 02, दिनांकित 05/08/2019 से पट्टा संख्या 08 दिनांकित 05/08/2019 को राजस्थान पंचायतीराज नियम 156 के नियम (क) (ख) (ग) (2) (3) के तहत डीएलसी दर/बाजार दर पर राजस्थान पंचायती राज नियमों के परे जाकर विधि विरुद्व जारी किया जाकर उक्त आवासीय भूखण्ड आवंटित किया गया। निगराकार ग्राम पंचायत पण्डेर का निवासी होकर जागरूक नागरिक है और ग्राम पंचायत द्वारा किये जाने वाले सभी कार्यों एवं निर्णयो से प्रभावित होता है जिसकी ओर से उपरोक्त वर्णित पट्टा संख्या 08, दिनांकित 05/08/2019 जो कि विधि विरूद्व एवं नियमो से परे जाकर जारी किया गया है, जो अपास्त किये जाने योग्य हैं। गैर

दर विक्रय की गई दर से कई गुना अधिक है। पंचायत समिति जहाजपुर द्वारा गैर निगराकार संख्या 02 के द्वारा जारी किये गये पट्टो के बाबत अनियमितता की जांच में भूखण्डो की बाजार दर करीब 6000/– अक्षरे छः हजार रूपये प्रतिवर्गफीट बतायी गई है। इस प्रकार स्पष्ट कि प्रस्तुत प्रकरण में राजकोष की भारी हानि हुई है जिस कारण उक्त पट्टा निरस्त किये जाने योग्य है। राजस्थान पंचायती राज नियमो के अनुसार प्रस्तावित स्थल का सचिव द्वारा नक्शा बनाया जाता है। प्रस्तुत प्रकरण में सचिव द्वारा बनाये गया नक्शा नियमानुसार नहीं है और न ही नक्शे पर नक्शा बनाने की दिनांक अंकित है। नक्शे में कई जगह कांट–छांट भी हो रखी है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में राजस्थान पंचायती राज नियमो का उल्लंघन किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में आक्षेप आमंत्रित करने बाबत् जो नोटिस संलग्न है उस नोटिस में प्रस्तावित भूखण्ड किसी स्थान पर है उसका कोई विवरण नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा किये जाने वाले सभी विक्रयो का अनुमोदन राजस्थान पंचायती राज नियमों के अनुसार किया जाना आवश्यक होता है। राजस्थान पंचायती राज के नियमानुसार सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर होना एवं उसके द्वारा अनुमोदन किया जाना आवश्यक है जो प्रस्तुत प्रकरण में नहीं किया गया जो नियम एंव विधि के विपरीत है। निवेदन है कि निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार किया जाकर गैर निगराकार संख्या 02 ग्राम पंचायत पण्डेर द्वारा ग्राम पण्डेर की जवाहरनगर आबादी में स्थित भूखण्ड का गैर निगराकार संख्या 01 के पक्ष में राजस्थान पंचायतीराज नियम 156 के तहत जारी उक्त पट्टा संख्या 08 दिनांकित 05/08/2019 को निरस्त किया जाकर उक्त भूखण्ड का आवंटन खारिज किया जावे।

निगराकार अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया गया कि प्रार्थी कैलाश कंजर के आवेदन पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मिसल संख्या 108 दिनांक 20.05.2019 कायम की गयी। ग्राम पंचायत द्वारा 3 वार्ड पंचों की कमेटी बनाकर, विक्रय संबंधी मौका निरीक्षण पत्र तैयार किया गया।

ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि में तलिया का नक्शा तैयार कर, आक्षेप आमंत्रित करने का नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत पण्डेर ने संकल्प संख्या 02 दिनांक 05.08.2019 से राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 156 के नियम क ख ग एवं 2 3 के अनुसरण में बाजार दर से क्रेता कैलाश

अति. जिला कलक्टर न्यायालय भीलवाड़ा (राज.)

अति. जिला कलक्टर

कंजर से राशि 50,400/—रूपये रसीद संख्या 74/7 से जमा कर प्रश्नगत पटटा जारी किया जो विधि सम्मत होकर त्रुटि रहित प्रतीत होता हैं।

निगराकार ने निगरानी मेमों में अंकित किया कि पंचायत समिति ने अपनी जांच में तत्कालीन सरपंच एवं सचिव द्वारा जारी किये गये पट्टो को अवैध व नियमो के विपरीत पाया गया हैं।

किन्तु पत्रावली परीक्षण उपरान्त पाया गया कि निगराकार के उक्त कथन के आधार पर पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज अथवा जांच रिपोर्ट संलग्न नहीं हैं, जिससे जाहिर हो सके कि पंचायत समिति ने अपनी जाचं में प्रश्नगत पटटे की ही जांच की हो ? अथवा प्रश्नगत पटटा विधि विरूद्व जारी किया गया हो।

पत्रावली परीक्षण अनुसार अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत पण्डेर ने मिसल पत्रावली कायम कर विधि अनुरूप पटटा संख्या 08 दिनांकित 05.08.2019 पारित किया, जिसमें कोई त्रुटि प्रतीत नही होती हैं। अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार निगराकार की निगरानी तथ्यहीन, सारहीन एवं आधारहीन होने से स्वीकार योग्य नहीं ठहरती हैं। अतएव—

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत तथ्यहीन, सारहीन एवं आधारहीन होने से अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत पण्डेर पंचायत समिति जहाजपुर जिला भीलवाडा को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.08.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा